

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक- 26.06.2021

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल - 57 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा- 151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया ।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही-

01. थाना खोड़ारे द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. रामनिवास पुत्र रामदेव नि० सरवनजोत थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 95/21, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

02. थाना छपिया द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. श्रीमती सुशीला पत्नी रामनौरंग उर्फ अन्नू नि० ककरघटा थाना छपिया जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 185/21, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

03. थाना मनकापुर द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. देवताराम पुत्र नंगू नि० रमईजोत पेरी पोखर थाना मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 174/21, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

04. थाना मोतीगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. राममनोज पुत्र रामदास नि० ढेठिया थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 143/21, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

05. थाना तरबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. मोतीराम राणा पुत्र स्व० रामअवध राणा नि० भिखनापुर थाना तरबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 173/21, 02. श्रीमती पूजा चौहान पुत्र स्व० फागू चौहान नि० चौबेपुर लोनियनपुरवा थाना तरबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 174/21, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 26.06.2021

‘ऑपरेशन तमंचा’ अभियान में थाना धानेपुर में अवैध तमंचे सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार -

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने ‘ऑपरेशन तमंचा’ अभियान के अन्तर्गत अवैध शस्त्र / कारतूस रखने वालो एवं इनका क्रय – विक्रय करने वालो के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के कड़े निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना धानेपुर पुलिस ने मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त राजू वर्मा को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिंदा कारतूस बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना धानेपुर में आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. राजू वर्मा पुत्र स्व० ननके नि० श्रीनगर बाबागंज थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु०अ०सं०- 159/21, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिंदा कारतूस।

गिरफ्तारकर्ता टीम-

01. उ०नि० अमरनाथ मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 26.06.2021

थाना कटराबाजार द्वारा 03 गौ-तस्कर अवैध मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार,
05 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा बरामद-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में आज दिनांक 26.06.2021 को थाना कटराबाजार के उ०नि० नीरज कुमार मय हमराह के क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर खास की सूचना पर गांजा तस्कर गिरोह के 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। जामातलाशी के दौरान अभियुक्त अब्दुल रहमान के कब्जे से 01 किलो 600 ग्राम, अभियुक्त कुलमान खान के कब्जे से 01 किलो 800 ग्राम व अभियुक्त फुरवान खां के कब्जे से 01 किलो 800 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। अभियुक्तों के विरुद्ध जनपद बहराइच में गौ-तस्करी, साथ ही अभियुक्त फुरवान खां उर्फ फुरकान खां के विरुद्ध थाना कैसरगंज जनपद बहराइच में मादक पदार्थ की तस्करी संबंधित अभियोग भी पंजीकृत है। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कटराबाजार में एन०डी०पी०एस० एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. अब्दुल रहमान खां पुत्र इब्रार खां नि० ग्राम विराहिमपुर विल्हौरा थाना कैसरगंज जनपद बहराइच।
02. कुलमान खां उर्फ काले उर्फ कलऊ पुत्र झम्मन खां नि० ग्राम विराहिमपुर विल्हौरा थाना कैसरगंज जनपद बहराइच।
03. फुरवान खां उर्फ फुरकान खां पुत्र मस्तान खां नि० ग्राम विराहिमपुर विल्हौरा थाना कैसरगंज जनपद बहराइच।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु०अ०सं०- 208/21, धारा 8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।
02. मु०अ०सं०- 209/21, धारा 8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।
03. मु०अ०सं०- 210/21, धारा 8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 05 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा।

अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास-

01. फुरवान खां उर्फ फुरकान खां का आपराधिक इतिहास-

01. मु०अ०सं०- 572/07, धारा 3/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना कैसरगंज जनपद बहराइच।
02. मु०अ०सं०- 1927/16, धारा 498ए, 323, 504 भादवि० थाना कैसरगंज जनपद बहराइच।
03. मु०अ०सं०- 948 / 17, धारा 3(1) गुण्डा अधिनियम थाना कैसरगंज जनपद बहराइच।

04. मु0अ0सं0- 1209/17, धारा 5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना कैसरगंज जनपद बहराइच ।

05. मु0अ0सं0- 07/19, धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना कैसरगंज जनपद बहराइच ।

02. कुलमान खां उर्फ काले उर्फ कलऊ का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0- 246/19, धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना कैसरगंज जनपद गोण्डा ।

02. मु0अ0सं0- 135/19, धारा 379 भादवि0 व 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना कैसरगंज जनपद बहराइच ।

03. मु0अ0सं0- 438/19, धारा 323,504,506 भादवि0 थाना कैसरगंज जनपद बहराइच ।

04. मु0अ0सं0- 153/20, धारा 452,504,506 भादवि0 थाना कैसरगंज जनपद बहराइच ।

05. मु0अ0सं0- 248/20, धारा 3(1) यू0पी0 गैरेस्टर एक्ट थाना कैसरगंज जनपद बहराइच ।

गिरफ्तारकर्ता टीम-

उ0नि0 नीरज कुमार मय टीम ।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल
जनपद गोण्डा दिनांक 26.06.2021

जालसाजी करने की वांछित आरोपी अभियुक्ता गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना इटियाथोक पुलिस ने मु0अ0सं0- 08/21, धारा 419,420,467,468,120बी भादवि0 से सम्बन्धित वांछित अभियुक्ता- श्रीमती मंजू शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्ता मंजू शुक्ला ने वादी दिनेश कुमार पाण्डेय पुत्र भगौती शरण पाण्डेय नि0 नारेमहरी थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा की जमीन को फर्जी व कूटरचित ढंग से बैनामा करा लिया था। जिसके संबंध में वादी द्वारा थाना इटियाथोक में उक्त अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें इटियाथोक पुलिस ने कार्यवाही करते हुए मुखबिर की सूचना पर उक्त आरोपी अभियुक्त को भौवरुपुर मोड़ के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्ता-

01. श्रीमती मंजू शुक्ला पत्नी राजकुमार नि0 रमवापुर गोविन्दा थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 08/21, धारा 419,420,467,468,120बी भादवि0 थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

गिरफ्तारकर्ता टीम-

01. उ0नि0 विजय बहादुर सिंह मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 26.06.2021

मारपीट करने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/ थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना इटियाथोक पुलिस ने मु0अ0सं0- 198/21, धारा 458,323,504,506 भादवि0 से संबंधित वांछित अभियुक्त शमसाद को मुखबिर खास की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. शमसाद पुत्र दद्वन नि0 निसारुपुर थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 198/21, धारा 458,323,504,506 भादवि0 थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

गिरफ्तारकर्ता टीम-

01.उ0नि0 विजय बहादुर सिंह मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 26.06.2021

जानलेवा हमला करने के 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना कौड़िया पुलिस ने मु0अ0सं0- 87/21, धारा- 323,504,324,325,307 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तों- 01. सुभाष उर्फ विजय कुमार, 02. सुशील कुमार को मुखबिर खास की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्तों ने दिनांक 11.06.2021 को वादी रजनीश पाण्डेय पुत्र बृजेश पाण्डेय नि0 कौड़िया बाजार थाना कौड़िया जनपद गोण्डा को आपसी-विवाद के चलते गाली गुप्ता देते हुए लाठी-डण्डा, सरिया से मारा-पीटा था तथा जान से मारने की नियत से वादी की बहन पर चाकू से वार कर दिया था। अभियुक्त को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. सुभाष उर्फ विजय कुमार पुत्र शेषबन्धु पाण्डेय नि0 पूरे बादल थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।
02. सुशील कुमार पुत्र सुभाष उर्फ विजय कुमार नि0 पूरे बादल थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 87/21, धारा 323,504,324,325,307 भादवि0 थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0- 99/21, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 01 अदद नाजायज चाकू।

गिरफ्तारकर्ता टीम-

- उ0नि0 राकेश सिंह मय टीम।